मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार, २००९

(जो आवेदक पूर्व में अपना नामांकन प्रस्ताव प्रेषित कर चुके हैं, वे पुनः आवेदन न देवें।)

मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में वनों एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिये प्रदर्शित की गई शूरवीरता हेतु अशासकीय व्यक्ति, शासकीय अधिकारियों एवं शासकीय कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिये दो श्रेणियों में बसामन मामा स्मृति पुरस्कार-२००९ हेतु नामांकन आमंत्रित किये जाते हैं। इसके तहत् निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगेः-

1	विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)		
	पुरस्कार वर्ग		पुरस्कार
	(क) शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु	(ख) अशासकीय व्यक्तियों हेतु	
	1- प्रथम पुरस्कार	1- प्रथम पुरस्कार	रू. दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	2- द्वितीय पुरस्कार	2- द्वितीय पुरस्कार	रू. एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	3- तृतीय पुरस्कार	3- तृतीय पुरस्कार	रू. पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र
२	**राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)**		
	(क) राज्य के अंतर्गत - ५ हेक्. से अधिक	(ख) राज्य के अंतर्गत ५ हेक्. से कम	
	1- प्रथम पुरस्कार	1- प्रथम पुरस्कार	रू. दो लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	2- द्वितीय पुरस्कार	2- द्वितीय पुरस्कार	रू. एक लाख तथा प्रशस्ति पत्र
	3- तृतीय पुरस्कार	3- तृतीय पुरस्कार	रू. पचास हजार तथा प्रशस्ति पत्र

टीप :- वृक्षारोपण कार्य में संलग्न व्यापारिक प्रतिष्ठान उपरोक्त पुरस्कार हेतु पात्र नही होंगे। वृक्षारोपण का चयन उनकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता, प्रजाति तथा समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इनके योगदान आदि मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा। विन्ध्य क्षेत्र के अंतर्गत टीकमगढ़, पन्ना, छतरपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जिलों से प्राप्त नामांकनों पर ही विचार किया जायेगा। शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के मरणोपरान्त पुरस्कार की पात्रता नही होगी।

विस्तृत जानकारी तथा नामांकन पत्र का प्रारूप मध्य प्रदेश में स्थित निकटतम मुख्य वन संरक्षक वन वृत्त, क्षेत्र संचालक टायगर रिजर्व, वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) कार्यालय या वन विभाग, मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.mpforest.org से प्राप्त की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र के नामांकन जिला पंचायत/जनपद पंचायत की अनुशंसा सहित वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) को भेजे जायें। प्रस्तावकों को परामर्श दिया जाता है कि कार्य के अधिक से अधिक फोटोग्राफ, वीडियो, पेपर कटिंग आदि संलग्न करें। लिफाफे पर बसामन मामा स्मृति पुरस्कार, २००९ लिखा जावे। निर्धारित फार्म पर भरे हुए नामांकन संबंधित क्षेत्र के वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) के कार्यालय में पांच प्रतियों में दिनांक १५.०७.२०११ को सायंकाल ०५.०० बजे तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

सदस्य सचिव, पुरस्कार चयन समिति एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(संयुक्त वन प्रबंध/वन विकास अभिकरण), वन विभाग

मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल-४६२००४

दूरभाष क्र. : ०७५५.२६७४२२४ फेक्सः ०७५५.२७६३३९०

मोबाईल नं. ९१.९४२४४०७८५८ए ९१.९८२७०५७६०३ए ९१.९४२५१४७६९०

(कृपया कार्यालयीन दिवस एवं समय पर ही संपर्क करें)

बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार, वर्ष २००९ हेतु

नामांकन प्रारूप

विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार हेतु

१.	नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय/अशासकीय) का नाम एवं पूरा पता	:	....
२.	कार्य क्षेत्र	:	....
३.	पुरस्कार वर्ग	:	....
४.	किये गये कार्य का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम २ पृष्ठ)	:	....
५.	किये गये कार्य का विस्तारपूर्वक विवरण (विगत ५ वर्षो का)। कार्य विवरण देते हुए यह भी बतायें कि	:	....
	अ-कार्य की क्या विशेषता है?	:	....
	ब-कार्य में जन भागीदारी किस प्रकार निहित है?	:	....
	स-क्या किये गये कार्य का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हुआ है अथवा उसकी क्या संभावना है?	:	....
६.	शासकीय कर्मचारी अपने दायित्वों के अतिरिक्त किये गये विशिष्ठ कार्य का उल्लेख करें, जिनके कारण पुरस्कार दिया जावे।	:	....

नोटः- आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज तीन प्रतियों में एवं रंगीन फोटोग्राफ आदि संलग्न करें। साथ ही संस्थागत पुरस्कार हेतु समिति के अध्यक्ष एवं सचिव एवं व्यक्तिगत (शासकीय/अशासकीय) अपने पासपोर्ट साईज के दो-दो रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रेषित करेंगे।

आवेदक_के_हस्ताक्षर

७. व्यक्तिगत (शासकीय कर्मचारी) वन एवं अन्य विभाग, श्रेणी "क" एवं "ख" के प्रस्ताव संबंधित शासकीय सेवक अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से निम्नानुसार प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें:-

प्रमाण-पत्र

1- नाम...

2- पद .... ३. वेतनमान ....

४. विभाग ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त शासकीय सेवक के विरूद्ध विभागीय जांच/ लोकायुक्त/आर्थिक अपराध ब्यूरो में कोई भी प्रकरण दर्ज/लंबित नही है।

हस्ताक्षर
एवं कार्यालयीन पद मुद्रा
(नियंत्रक अधिकारी)

८. प्रमाणीकरण (संबंधित वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी)/वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) द्वारा आवेदक के प्रकरण के ऊपर अपनी हस्तलिखित तथ्यात्मक टीप तथा स्पष्ट अनुशंसा दी जाये तथा कार्य में सहभागिता, नवाचार, प्रभावशीलता, कार्य के फैलाव तथा साहस से संबंधित विषयों पर विशेष टीप दी जाये।) तथा सत्यापित किया जाये कि नामित संस्था/व्यक्ति (शासकीय, अशासकीय) द्वारा दिया गया विवरण सही एवं सत्य है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर
वन संरक्षक (क्षेत्रीय)/वन मण्डलाधिकारी
वन मण्डल ....

बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार, वर्ष २००९ हेतु नामांकन प्रारूप

राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण)

1- आवेदक का नाम ....

2- पता दूरभाष/मोबाईल नं. सहित ....

3- आवेदक का व्यवसाय ....

4- पुरस्कार वर्ग (५ हेक्टेयर से अधिक/५ हेक्टेयर से कम) ....

5- वृक्षारोपण का स्थल (खसरा क्रमांक तथा खसरा नकल सहित जिसमें स्वामित्व का उल्लेख हो) ....

6- वृक्षारोपण का क्षेत्रफल ....

7- वृक्षारोपण करने का वर्ष ....

8- रोपित प्रजातियाँ एवं उनकी संख्या..

9- रोपित प्रजातियों की वर्तमान औसत ऊंचाई एवं गोलाई (प्रत्येक प्रजाति हेतु औसत ऊंचाई एवं गोलाई पृथक-पृथक दर्शायें) ....

10- वृक्षारोपण का छायाचित्र (विहंग्म दृश्य के साथ) ....

11- पूर्व में प्राप्त पुरस्कार का विवरण ....

12- वृक्षारोपण से प्रभावित अन्य व्यक्तियों के नाम एवं पते ....
....

नोटः- आवेदक अपने कार्य से संबंधित दस्तावेज तीन प्रतियों में एवं अपने पासपोर्ट साईज के दो-दो रंगीन फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रेषित करेंगे।

दिनांक :

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा सत्यापन उपरान्त प्रविष्ट किये जाने वाली टीप, जिसमें वृक्षारोपण की उम्र, उसकी बढ़त, तकनीकी गुणवत्ता इत्यादि पर टीप उपरोक्त बाक्स में दी जावे।

दिनांक :

सत्यापनकर्ता (राजपत्रित) अधिकारी के
नाम, हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा

वन मण्डलाधिकारी द्वारा उपरोक्त बाक्स में अपनी टीप दी जावे।

दिनांक :

(वन मण्डलाधिकारी)
हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा